पत्र संख्या–6(स0) विविध–24 / 2018–

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

प्रेषक,

ऋषिदेव झा,
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
सभी निगम / बोर्ड / प्राधिकार (उद्योग विभाग के नियंत्रणाधीन)

पटना–15, दिनांक–

विषयः– क्षेत्रीय कार्यालयों की भाँति निगम / बोर्ड / प्राधिकार (उद्योग विभाग के नियंत्रणाधीन) कार्यालय खोलने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–3 / एम0–09 / 2006–का0–2462 दिनांक 30.04.2008 के द्वारा मात्र सचिवालय विभागों / निदेशालयों में पाँच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू है। इसके अतिरिक्त राज्य के अन्य कार्यालयों में छः दिवसीय कार्य सप्ताह लागू है। इस संबंध में विभागीय पत्रांक 4648 दिनांक 26.10.18 के द्वारा कार्यालय खोलने हेतु स्पष्ट निदेश निर्गत हैं, जिसमें किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार सभी निगम / बोर्ड / प्राधिकार (उद्योग विभाग के नियंत्रणाधीन) प्रबंध निदेशकों को पुनः निदेश दिया जाता है कि विभागीय पत्रांक 4648 दिनांक 26.10.18 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

प्रस्ताव में अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0 / –

(ऋषिदेव झा)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–6(स0) विविध–24 / 2018– 1708 / पटना, दिनांक– 04-04-19

प्रतिलिपिः–निदेशक, उद्योग / खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय / हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय / तकनीकी विकास निदेशालय एवं अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

2) आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को ई–मेल करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

4-04-19

(ऋषिदेव झा)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

4/4/19